फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

ललिता कंवर ....बनाम........ नारायणराम

किस्म मुकदमा राजस्व वाद ....मुकदमा नम्बर 232 ..../2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री ....[illegible]............ यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ......88, 188...... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ......22/12/22 को पेश हो । [signature]	
22/12/22	पत्रावली पेश हुई। वादीनी की ओर से अधिवक्ता सुरेश सोनी ने No objection का वकालतनामा पेश किया। वादीनी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते नया वाद पत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर वाद पत्र विड्रॉल करने बाबत अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादीनी वकील ने निवेदन किया कि वादीनी एक अनपढ़ ग्रामीण महिला [illegible] कारण अपने अधिवक्ता को वाद [illegible] पाई जिस कारण वाद में कुछ महत्वपूर्ण [illegible] लिखने रह गये है तथा कुछ तथ्यों का ज्ञान हुआ है, इसके अतिरिक्त वादग्रस्त खेत खसरा सं. 148 मे से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:20:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ने 5 बीघा भूमि का बेचान हेबदान एवं अन्य को कर दिया है जिन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इस कारण हस्तगत वाद विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने का आदेश फरमावें।

वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त अनवान के वाद को जरिये विड्रा फरमाया जाता है तथा नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:20:11 IST
Reason: SelfAttested